

आदेश

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, पंच, ग्राम पंचायत रामपुरा, वार्ड नं०. 08, खण्ड बाढडा जिला चरखी दादरी द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 08.04.2025 जो उपायुक्त, चरखी दादरी के सिफारिश पत्र क्रमांक 7201/पंचायत दिनांक 07.07.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

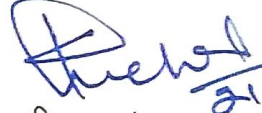
चण्डीगढ़, दिनांक
18-07-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००२-2025 / 33675-701 दिनांक : 23/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, चरखी दादरी को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 7201/पंचायत दिनांक 07.07.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, चरखी दादरी।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बाढडा (जिला चरखी दादरी)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत रामपुरा, खण्ड बाढडा, जिला चरखी दादरी।
6. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी गांव रामपुरा, खण्ड बाढडा, तहसील व जिला चरखी दादरी।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Govind / Sh. Mohit